प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं0– 01375–224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com उत्तराखण्ड वन्यजीव हैल्प लाईन नं0 18008909715

पत्रांक– 650 / 12–1 बड़कोट, दिनांक 24 अगस्त / 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई0, सिं0ख0,
पुरोला, उत्तरकाशी

विषयः– **जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत खरादी नंगाणगांव मोटर मार्ग के कि0मी0 9.00 से बंचाणगांव मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.346 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन के संबंध में।**

सन्दर्भ– **आपके कार्यालय का पत्रांक–732 / पी0एम0जी0एस0वाई0 / सि0ख0, दिनांक 14.08.2024 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें आपके द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या–3 में शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोत्तरी होती है तो बढी हुई दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी जो कि आपके द्वारा अनुपालन नही किया गया है। उक्त शर्त संख्या के क्रम में इस कार्यालय के पत्रांक–1538 / 12–1, दिनांक 31.01.2024 **(संलग्नक)** से आपको अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट प्रेषित किया गया था जो कि आतिथि तक अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त शर्त संख्या के अनुसार अतिरिक्त धनराशि को जमा कर पूर्ण अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि प्रकरण पर अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उक्त के क्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर, फारेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड़, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

(रविन्द्र पुण्डीर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

HPC

CamScanner

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट,

फोन/फैक्स नं0– 01375–224233 E-Mail dfobarkot@gmail.com वन मित्र कॉल सेन्टर–9208008000

पत्रांक–1538/12–1 दिनांक,बड़कोट, 31 जनवरी 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिचाई खण्ड, पी0एम0जी0एस0वाई0,
पुरोला।

विषयः– जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों में विधवत् स्वीकृति हेतु लम्बित सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरणों के संबंध में।

सन्दर्भ :– वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक–1955/12–1, दिनांक 27.05.2023 एवं पत्राांक–आर0न0–2842/12–1, दिनांक 18.01.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा भारत सरकार ने ऐसे प्रकरणों की सूची प्रेषित की है जिनकी अनुपालन आख्या में त्रुटि होने के कारण आतिथि तक अनुपालन आख्या भारत सरकार कार्यालय में नही पहुच पाई है अथवा सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी हुए 5 वर्ष हो चुके है। उक्त प्रकरणों में से एक प्रकरण खरादी नगाणगांव बचाणगांव मोटर मार्ग निर्माण 1.346 है0 जो आपके कार्यालय से सम्बन्धित है, जिसमें सैद्वान्तिक स्वीकृति जारी हुए 5 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, जबकि नियमानुसार सैद्वान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात 05 वर्ष के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्राप्त होना अनिवार्य है।

अतः इस पत्र के माध्यम से अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण की विधिवत स्वीकृति हेतु अपने स्तर से उचित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल कार्यवाही हेतु आप स्वंय उत्तरदायी होगें। इसे अतिआवश्यक समझे।

इस संबंध में विषयगत प्रकरण से NPV एवं वृक्षारोपण की धनराशि जमा करने हेतु डिमाण्ड नोट निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	प्रस्ताव संख्या	हस्तान्तरित की जाने वाली धनराशि का क्षेत्रफल (है0 में)	ईको क्लास श्रेणी	हरियाली का घनत्व	मद का विवरण	क्षेत्रफल (है0 में)	भारत सरकार के आदेश सं0 5–3/2011–एफ0सी0 दिनांक 06.01.2022 के अनुसार	जमा की जाने वाली आंकलित धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	FP/UK/ROAD/23290/2016	1.346	5	0.2	NPV	1.346	1005210	1353012.00
			पूर्व में जमा धनराशि				–	884322.00
							अवशेष धनराशि	468690.00
			कुल योग	चार लाख अड़सठ हजार छ सौ नब्बे रू0 मात्र।				

उपरोक्तानुसार जमा की जाने वाली धनराशि रू0 468690.00 का Challan Generate कर ऑनलाईन नोडल अधिकारी कार्यालय में जमा करने के उपरान्त जमा धनराशि की चालान सहित सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि परियोजना हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही समय से की जा सकें। इसके अतिरिक्त शासनादेश में उल्लेखित सभी शर्तों की अनुपालन आंख्या भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

भवदीय

(डॉ0 अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

(डॉ0 अभिलाषा सिंह)
उप वन संरक्षक,
अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।

CS CamScanner